# फर्द अहकाम

## नियम 26

अज अदालत.........उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)..............मुकाम......................भादरा.........................................

..................................................... जावेद..........बनाम.. जगीला आदि ....................................

नम्बर मुकदमा.............151 सीपीसी .............न० 05/20 .......सन्............... 2020...............................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|---|---|---|
| 07.02.2020 | प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का अधिवक्ता श्री मुंशीराम गोस्वामी के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही चक 7 डीपीएन के खाता सं0 95/97 के मु0 न0 66 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21, मु0 न0 67 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 68 के किला न0 12 ता 19, 23 ता 25, मु0 न0 69 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, मु0 न0 70 के किला न0 1 ता 15, 19 व 20, मु0 न0 71 के किला न0 1, 9 ,10, 11 कुल रकबा 17. 571है0, इसी प्रकार चक 8 डीपीएन के खाता सं0 20/20 के मु0 न0 14 के किला न0 6, 11 ता 13, 18 ता 23, कु0 न0 15 किला न0 1 ता 3 कुल रकबा 2.593है0 नहरी खातेदारी भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 08-4-2020 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एव सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढाई जावेगी। इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण क तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08-04-2020 को पेश हो। | |
| 8/4/20 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ......[illegible]...... दिनांक 3.6.20.... को पेश हो। | |
| 3.6.20 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...[illegible]... दिनांक 14.8.20 ... को पेश हो। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व फर्द अहकाम हुक्म की जारी |
|---|---|---|
| 18/09/23 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 10/11/23 को पेश हो। | |
| 10/11/23 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 5/3/24 को पेश हो। | |
| 5/03/24 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 23/4/24 को पेश हो। | |
| 23/04/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी अंतिम अवसर दिनांक 26/06/24 को पेश हो। 23/04/24 | |
| 26/6/24 | वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते .....तलबी..... दिनांक 6/9/24 को पेश हो। | |
| 6/9/24 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 19.11.24 को पेश हो। | |
| 19.11.24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार बार आवाज लगवाई गई। पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner